न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
14 / अपील / 20	30.06.2020	17.09.2021

1. कालू उर्फ चौथमल पुत्र लाडू जाति भील निवासी मराड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मुण्ड़िया कलां तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक राज.।
2. किश्मत पुत्री लाडू जाति भील निवासी मराड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मुण्ड़िया कलां तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक राज.।
3. आशा पुत्री लाडू जाति भील निवासी मराड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मुण्ड़िया कलां तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक राज.।

–अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर पुत्र लाडू जाति भील निवासी मराड़ी हाल निवासी जड़ का नया गावं द्वारा पोषी मीणा निवासी जड़ का नया गावं तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.।
2. राजू पुत्र लाडू जाति भील निवासी ग्राम मराड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.।
3. रामा पुत्र रतन जाति भील निवासी ग्राम मराड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.।
4. राज. राज्य सरकार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से – श्री शम्भूदयाल शर्मा एड0
रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 251 दिनांक 24.06.2004 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकण से कृषि भूमि खसरा सख्या 14 रकबा 2 बीघा 5 बीस्वा, 15 रकबा 2 बीघा 12 बीस्वा, 16 रकबा 4 बीघा 5 बीस्वा, 17 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा वाके ग्राम मराड़ी मृतक खातेदार लाडू के स्थान पर रेस्पोडेन्ड

अति0 जिला कलक्टर

ख्या 1 महावीर व रेस्पोडेन्ड संख्या 2 राजू का नाम दर्ज किया गया हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 14 रकबा 2 बीघा 5 बीस्वा, 15 रकबा 2 बीघा 12 बीस्वा, 16 रकबा 4 बीघा 5 बीस्वा, 17 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा वाके ग्राम मराड़ी में विस्थित हैं जिसके खातेदार रामा, लाडू पि0 रतना कौम भील थे। सहखातेदार लाडू की मृत्यु के पश्चात फौती नामान्तरकरण दर्ज किया गया हैं जिसमें रेस्पोडेन्ड संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज किया हैं जबकि मृतक लाडू के वारिसान अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 भी हैं। मृतक लाडू के वारिसान की मजमें आम में कोई जानकारी नहीं की गई हैं। लाडू की मृत्यु के उपरान्त नटीबाई जो लाडू की पत्नि थी वह अपीलांट को अपने साथ लेकर ग्राम मुण्डियां कला जिला टोंक चली गई थी। लाडू की मृत्यु के समय रेस्पोडेन्ड राजू व महावीर बड़े होने के कारण मराड़ी में ही अपने बड़े पिता रामा रेस्पोडेन्ड संख्या 3 के पास रह गये। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा मृतक लाडू के विधिक वारिसान बाबत् कोई जांच नहीं की गई हैं, न ही अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हैं। अपीलांटस के पिता मृतक लाडू की भूमि अपने बाड़े भाई रामा के पास रहन रखी हुई थी। अपीलांट दिनांक 15.05.2020 को ग्राम मराड़ी आया और आपसी सहमति से रूपयों का भुगतान रामा को किया। तत्पश्चात पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने के दोरान यह तथ्य सामने आये कि मृतक लाडू के स्थान पर केवल रेस्पोडेन्ड संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज किया गया हैं। नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 18.05.2020 को नकल प्राप्त करने पर हुई। नकल प्राप्त होने पर ज्ञान की तिथि से अपील अंतर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत हैं यदि अपील को पेश करने में विलम्ब माना जाता हैं तो अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत हैं। विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2004 खारिज किया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने व्यक्त किया कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 24.06.2004 से मृतक लाडू के स्थान पर रेस्पोडेन्ड संख्या 1 महावीर व रेस्पोडेन्ड संख्या 2 राजू का नाम अंकित किया गया हैं। अपीलांटस का मुख्य तर्क यह हैं कि वह भी मृतक लाडू के विधिक वारिसान हैं और विवादित नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान बाबत् कोई जांच नहीं की गई हैं न ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया हैं। उक्त तर्क से हम पूर्णतया सहमत हैं। न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत यह हैं कि पक्षकारान को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2004 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही

अति0 जिला कलक्टर
टोंक (राज0)

को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह लाडू के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

(अमानुल्लाह खान)
अति० जिला कलक्टर,
बूंदी